



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 464 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुकरा मुण्डा
विनीता बखला

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
17.07.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक सुकरा मुण्डा पिता स्व० जोहन मुण्डा ग्राम-कनसीली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने विनीता बखला पति सुखवा धान ग्राम-हरदीगडा, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="327 716 1436 840"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कनसीली</td> <td>169</td> <td>30</td> <td>450</td> <td>3.36</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0319024861 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 675 दिनांक 06.07.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुधू मुंडा हैं। पंजी II के अनुसार बुधू मुंडा के नाम भूमि का रकबा 6.46 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 6.46 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6772.00(छ हजार सात सौ बहत्तर)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.10 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं। अंचल अधिकारी, कर्रा से पत्रांक 121/न्या० दिनांक 13.08.19 द्वारा बकब्जे बेआइनी संबंधी जांच प्रतिवेदन का मांग किया गया है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने अपने पत्रांक 556 दिनांक 11.07.20 द्वारा प्रतिवेदित किया कि वर्तमान में बेआइनी बकब्जे धारी का कब्जा प्रश्नगत भूमि पर नहीं है अभी प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजों का कब्जा है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुकरा मुण्डा पिता स्व० जोहन मुण्डा को विनीता बखला पति सुखवा धान के साथ ग्राम कनसीली के खाता सं० 30 खेसरा संख्या 450 कुल रकबा 3.36 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6772.00(छ हजार सात सौ बहत्तर)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="343 1948 646 2139" style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </div> <div data-bbox="1173 1937 1476 2116" style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </div> </div>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कनसीली	169	30	450	3.36	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कनसीली	169	30	450	3.36								